

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार
बुद्ध मार्ग, पटना संग्रहालय के सामने
पटना-800001

कार्यालय आदेश संख्या- 48 / -:कार्यालय आदेश:- पटना, दिनांक 12.7.23 /
कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013
की धारा-4 के अन्तर्गत “आंतरिक परिवाद समिति” का पुनर्गठन निम्नरूपेण किया जाता है:-

1. श्रीमती धृति जसलीन शर्मा, - अध्यक्ष ई-मेल सम्पर्क सं0
संयुक्त सचिव, bslsa_87yahoo.co.in-06122508441
बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार
2. श्रीमती किरण ओझा - सदस्य
सहायक निबंधक तथैव -2508390
बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार
3. श्रीमती आरती कुमारी - सदस्य
सहायक निबंधक तथैव -2508390
बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार
4. श्रीमती संजू सिंह - सदस्य
अधिवक्ता-सह-सामाजिक कार्यकर्ता sanjusingh29084@gmail.com -9386154906
ए/25, मजिस्ट्रेट कॉलोनी, गुरु सहाय लेन,
संख्या-2बी, रामनगरी मोड़, पटना-25

समिति का कार्यकाल नियमानुसार 3 (तीन) वर्ष तक प्रभावी रहेगा ।

यह समिति, अधिनियम एवं उसके अन्तर्गत गठित नियमावली के अनुसार प्राधिकार परिसर में
हुए यौन उत्पीड़न संबंधी किसी भी शिकायत की जाँच करेंगी ।

(राजेश नारायण खंडेली याण्डेय)
सदस्य सचिव